

कार्यालय वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, सरयू वृत्त अयोध्या।

पत्रांक 3281 / 14-10 दिनांक, अयोध्या, अप्रैल 28 / 2023।

सेवा में,

Ad-50-

18

ccp/model
28/09/23

विषय:-

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उ०प्र०, लखनऊ।

जनपद अमेठी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-731 (पुराना एन०एच०-56) लखनऊ-सुलतानपुर मार्ग के किमी० 64 से 112.80 तक एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-96(330) अयोध्या-सुलतानपुर-प्रयागराज मार्ग के किमी० 69 से 79.80 तक कुल 59.60 एवं 0.6281 हे० संरक्षित वन भूमि पर मार्ग के किनारे ओ०एफ०सी० केबिल बिछाये जाने हेतु भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव संख्या-एफ०पी०/यू०पी०/अदर/143253/2021

सन्दर्भ:- सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, उ०प्र० शासन की पत्र संख्या-भ०स०-101/81-2-2022-800(277)/2022 दिनांक 26.09.2022 एवं आपका पत्रांक 1169/11-सी- दिनांक 27-09-2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कम में प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग अमेठी के पत्रांक 2779/14-1 दिनांक 20.04.2023 द्वारा बिन्दुवार अनुपालन आख्या एवं बचनबद्धता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है। उक्त प्राप्त बिन्दुवार अनुपालन आख्या एवं बचनबद्धता प्रमाण पत्र तीन प्रतियों में संलग्नकर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(ड० अनिरुद्ध पाण्डेय)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
समाजिक वानिकी, सरयू वृत्त, अयोध्या।

पृ०स० / उक्त दिनांक।

1- प्रतिलिपि-प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग अमेठी को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे कृपया सुनिश्चित करें, कि जब तक उक्त गैर वानिकी कार्य कराये जाने की विधिवत स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त न हो जाय तब तक किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य कदापि न प्रारम्भ होने दें।

2- प्रतिलिपि- प्रबन्धक, रिलायन्स जियो इन्फोकॉम, लिमिटेड राणा प्रताप मार्ग-सिकन्दर बाग चौराहा लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

(ड० अनिरुद्ध पाण्डेय)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
समाजिक वानिकी, सरयू वृत्त, अयोध्या।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अमेठी वन प्रभाग।

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश)

पत्रांक 2779 / 14-1
सेवा में,

अमेठी

दिनांक 20 अक्टूबर 2023

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी, सरयू क्षेत्र,
अयोध्या।

विषय— जनपद अमेठी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-731 (पुराना एन0एच0-56) लखनऊ-सुल्तानपुर मार्ग के किमी0 64 से 112.80 तक एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-96(330) अयोध्या-सुल्तानपुर-प्रयागराज मार्ग के किमी0 69 से 79.80 तक कुल 59.60 एवं 0.6281 हे0 संरक्षित वन भूमि पर मार्ग के किनारे ओ0 एफ0 सी0 केबिल विछाये जाने हेतु भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ— सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन की पत्र संख्या-भ0स0-101/81-2-2022-800(277)/2022 दिनांक 26.09.2022 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक-1169/11-सी-FP/UP/Others/143253/2021 दिनांक 27.09.2022

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र जो इस कार्यालय को भी पृष्ठांकित है, का अवलोकन करने की कृपा करें, जिसमें सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन द्वारा उपरोक्त विषयांकित कार्य हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अन्तर्गत प्रदान की गई है।

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दी गयी बचनबद्धता प्रमाण-पत्र व बिन्दुवार अनुपालन आख्या 04 प्रतियों में संलग्नकर आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार (04 प्रतियों में)

भवदीय,

भोडा
उपस्थित
26/10/2023

(डी0एन0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
अमेठी वन प्रभाग

पत्रांक / उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को उपरोक्त विषयक सन्दर्भित-पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित—:

- 1- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
- 2- प्रबन्धक, रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि0, राणा प्रताप मार्ग, सिकन्दर बाग चौराहा, लखनऊ।

(डी0एन0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
अमेठी वन प्रभाग

FP/UP/Others/143253/2021 के सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या

क्र० सं०	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अधिरोपित शर्त का विवरण	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दी गई अनुपालन आख्या	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दी गई अनुपालन आख्या	वन संरक्षक द्वारा दी गई अनुपालन आख्या
1	2	3	4	5
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।	रिलायन्स जियो इन्फोकॉम, लि० लखनऊ द्वारा शर्त संख्या-1 के सम्बन्ध में यह वचनबद्धता दी गयी है कि वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा, जिसकी वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।	
2	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal.	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि प्रकरण में वांछित समस्त धनराशि कैम्पा फण्ड के ई-पोर्टल पर जमा कर दी जायेगी। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।	रिलायन्स जियो इन्फोकॉम, लि० लखनऊ द्वारा शर्त संख्या-2 के सम्बन्ध में यह वचनबद्धता दी गयी है कि प्रकरण में वांछित समस्त धनराशि कैम्पा फण्ड के ई-पोर्टल पर जमा कर दी जायेगी, जिसकी वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।	
3	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी, अमेठी से FRA प्रमाण-पत्र MOEF&CC letter No. 11-43/2013-FC dated 26th February, 2019 के अनुपालन में याचक विभाग द्वारा प्राप्त कर लिया गया है, जो कि इस पत्र के साथ संलग्न है।	रिलायन्स जियो इन्फोकॉम, लि० लखनऊ द्वारा शर्त सं०-3 के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि प्रकरण में वांछित वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी, अमेठी FRA प्रमाण-पत्र MOEF&CC letter No. 11-43/2013-FC dated 26th February, 2019 के अनुपालन में प्राप्त कर लिया गया है, जो कि इस पत्र के साथ संलग्न है।	
4	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986 if applicable.	आवश्यकता नहीं है। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।	रिलायन्स जियो इन्फोकॉम, लि० लखनऊ द्वारा शर्त संख्या-4 के सम्बन्ध में दी गयी वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।	
5	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रकरण के ले-आउट प्लॉन में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जायेगा। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।	रिलायन्स जियो इन्फोकॉम, लि० लखनऊ द्वारा शर्त संख्या-5 के सम्बन्ध में यह वचनबद्धता दी गयी है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रकरण के ले-आउट प्लॉन में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जायेगा, जो कि इस पत्र के साथ संलग्न है।	
6	No labour camps shall be established on the forest land	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि कार्य के दौरान वन भूमि पर कोई श्रमिक कैम्प स्थापित नहीं किया जायेगा। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।	रिलायन्स जियो इन्फोकॉम, लि० लखनऊ द्वारा शर्त संख्या-6 के सम्बन्ध में यह वचनबद्धता दी गयी है कि कार्य के दौरान वन भूमि पर कोई श्रमिक कैम्प स्थापित नहीं किया जायेगा, जो कि इस पत्र के साथ संलग्न है।	

क्र0 सं०	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अधिरोपित शर्त का विवरण	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दी गई अनुपालन आख्या	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दी गई अनुपालन आख्या	वन संरक्षक द्वारा दी गई अनुपालन आख्या
7	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि श्रमिकों को वैकल्पिक ईंधन, अन्य व्यवस्था आदि की पूर्ति याचक विभाग द्वारा की जायेगी। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।	रिलायन्स जियो इन्फोकॉम, लि0 लखनऊ द्वारा शर्त संख्या-7 के सम्बन्ध में यह वचनबद्धता दी गयी है कि श्रमिकों को वैकल्पिक ईंधन, अन्य व्यवस्था आदि की पूर्ति याचक विभाग द्वारा की जायेगी, जो कि इस पत्र के साथ संलग्न है।	
8	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि परियोजना की अवधि, प्रयोक्ता अभिकरण के प्रोजेक्ट की अवधि या परियोजना के अवधि के पक्ष में दी जाने वाले पट्टे की अवधि जो भी कम हो पर लागू होगा। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।	रिलायन्स जियो इन्फोकॉम, लि0 लखनऊ द्वारा शर्त संख्या-8 के सम्बन्ध में यह वचनबद्धता दी गयी है कि परियोजना की अवधि, प्रयोक्ता अभिकरण के प्रोजेक्ट की अवधि या परियोजना के अवधि के पक्ष में दी जाने वाले पट्टे की अवधि जो भी कम हो पर लागू होगा, जो कि इस पत्र के साथ संलग्न है।	
9	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, Department or person without prior approval of Govt. of India	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी अन्य एजेन्सी, विभाग, या व्यक्ति को प्रस्तावित वन भूमि हस्तांतरित नहीं की जायेगी। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।	रिलायन्स जियो इन्फोकॉम, लि0 लखनऊ द्वारा शर्त संख्या-9 के सम्बन्ध में यह वचनबद्धता दी गयी है कि भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी अन्य एजेन्सी, विभाग, या व्यक्ति को प्रस्तावित वन भूमि हस्तांतरित नहीं की जायेगी, जो कि इस पत्र के साथ संलग्न है।	
10	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEE&CC Guideline F.No.11-42/2017-FC dt 29/01/2018	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया जायेगा। अगर किसी भी शर्त का उल्लंघन पाया जाता है तो वन संरक्षण अधिनियम-1980 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार MoEE&CC Guideline F.No.11-42/2017-FC dt 29/01/2018 के तहत स्वयं उत्तरदायी होंगे। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।	रिलायन्स जियो इन्फोकॉम, लि0 लखनऊ द्वारा शर्त संख्या-10 के सम्बन्ध में यह वचनबद्धता दी गयी है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया जायेगा। यदि किसी भी शर्त का उल्लंघन पाया जाता है, तो वन संरक्षण अधिनियम-1980 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार MoEE&CC Guideline F.No.11-42/2017-FC dt 29/01/2018 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होगा, जो कि इस पत्र के साथ संलग्न है।	
11	Any other condition that the ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय द्वारा संरक्षण/सुरक्षा एवं विकास से सम्बंधित शर्त प्रयोक्ता एजेन्सी को मान्य है। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।	रिलायन्स जियो इन्फोकॉम, लि0 लखनऊ द्वारा शर्त संख्या-11 के सम्बन्ध में यह वचनबद्धता दी गयी है कि भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय द्वारा संरक्षण/सुरक्षा एवं विकास से सम्बंधित शर्त प्रयोक्ता एजेन्सी को मान्य होगा, जो कि इस पत्र के साथ संलग्न है।	
12	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in)	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि प्रकरण में वांछित समस्त बिन्दुओं पर चाही गयी अनुपालन आख्या ई/पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर उपलब्ध करा दी जायेगी। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।	रिलायन्स जियो इन्फोकॉम, लि0 लखनऊ द्वारा शर्त संख्या-12 के सम्बन्ध में यह वचनबद्धता दी गयी है कि प्रकरण में वांछित समस्त बिन्दुओं पर चाही गयी अनुपालन आख्या ई/पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर उपलब्ध करा दी जायेगी, जो कि इस पत्र के साथ संलग्न है।	

क्र० सं०	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अधिसूचित शर्त का विवरण	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दी गई अनुपालन आख्या	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दी गई अनुपालन आख्या	वन संरक्षक द्वारा दी गई अनुपालन आख्या
13	ओ0एफ0सी0/ पाइप लाइन/टेलीफोन लाइन/मार्गों/सड़कों/वर्तमान (Surface Right) में प्रयुक्त रास्तों के किनारे - किनारे ही बिछाये जायेंगे।	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि ओ0एफ0सी0/पाइप लाइन/टेलीफोन लाइन/मार्गों/सड़कों/वर्तमान (Surface Right) में प्रयुक्त रास्तों के किनारे-किनारे ही बिछायी जायेगी। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।	रिलायन्स जियो इन्फोकॉम, लि0 लखनऊ द्वारा शर्त संख्या-13 के सम्बन्ध में यह वचनबद्धता दी गयी है कि ओ0एफ0सी0/पाइप लाइन/टेलीफोन लाइन/मार्गों/सड़कों/वर्तमान(Surface Right) में प्रयुक्त रास्तों के किनारे-किनारे ही बिछायी जायेगी, जो कि इस पत्र के साथ संलग्न है।	
14	ओ0एफ0सी0/पाइप लाइन/टेलीफोन लाइन बिछाने हेतु खोदे जाने वाले ट्रेंच की गहराई 2.00 मीटर तथा चौड़ाई 1.00 मीटर से अधिक नहीं होगी।	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि ओ0एफ0सी0/ पाइप लाइन/टेलीफोन लाइन बिछाने हेतु खोदे जाने वाले ट्रेंच की गहराई 2.00 मीटर तथा चौड़ाई 1.00 मीटर से अधिक नहीं होगी। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।	रिलायन्स जियो इन्फोकॉम, लि0 लखनऊ द्वारा शर्त संख्या-14 के सम्बन्ध में यह वचनबद्धता दी गयी है कि ओ0एफ0सी0/पाइप लाइन/टेलीफोन लाइन/बिछाने हेतु खोदे जाने वाले ट्रेंच की गहराई 2.00 मीटर तथा चौड़ाई 1.00 मीटर से अधिक नहीं होगी।, जो कि इस पत्र के साथ संलग्न है।	
15	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेंच को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि खोदी गयी ट्रेंच/पिट को भर कर कम्पैक्ट कर दिया जायेगा, जिससे कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।	रिलायन्स जियो इन्फोकॉम, लि0 लखनऊ द्वारा शर्त संख्या-15 के सम्बन्ध में यह वचनबद्धता दी गयी है कि खोदी गयी ट्रेंच/पिट को भरकर कम्पैक्ट कर दिया जायेगा, जिससे कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो, जो कि इस पत्र के साथ संलग्न है।	
16	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी। परियोजना में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी एवं परियोजना में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।	रिलायन्स जियो इन्फोकॉम, लि0 लखनऊ द्वारा शर्त संख्या-16 के सम्बन्ध में यह वचनबद्धता दी गयी है कि स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी एवं परियोजना में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा, जो कि इस पत्र के साथ संलग्न है।	
17	वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में सहमति दी जाती है। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।	रिलायन्स जियो इन्फोकॉम, लि0 लखनऊ द्वारा शर्त संख्या-17 के सम्बन्ध में यह वचनबद्धता दी गयी है कि वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में सहमति दी गयी है, जो कि इस पत्र के साथ संलग्न है।	
18	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुसूचक का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि अनुसूचक का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग से अनुमति ली जायेगी। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।	रिलायन्स जियो इन्फोकॉम, लि0 लखनऊ द्वारा शर्त संख्या-18 के सम्बन्ध में यह वचनबद्धता दी गयी है कि अनुसूचक का कार्य सम्पादन करने से पूर्व वन विभाग से अनुमति ली जायेगी, जो कि इस पत्र के साथ संलग्न है।	

क्र० सं०	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अधिरोपित शर्त का विवरण	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दी गई अनुपालन आख्या	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दी गई अनुपालन आख्या	वन संरक्षक द्वारा दी गई अनुपालन आख्या
19	भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भाँति यथावत् बना रहेगा।	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं लिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भाँति यथावत् बना रहेगा। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।	रिलायन्स जियो इन्फोकॉम, लि० लखनऊ द्वारा शर्त संख्या-19 के सम्बन्ध में यह वचनबद्धता दी गयी है कि भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं लिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भाँति यथावत् बना रहेगा, जो कि इस पत्र के साथ संलग्न है।	
20	प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।	याचक विभाग द्वारा भू-स्वामित्व वाले विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है तथा इस पत्र के साथ संलग्न है एवं यह वचनबद्धता दी जाती है कि समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।	रिलायन्स जियो इन्फोकॉम, लि० लखनऊ द्वारा शर्त संख्या-20 के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि भू-स्वामित्व वाले विभाग एन०एच०ए०आई० से अनापत्ति प्रमाण पत्र (छायाप्रति संलग्न) प्राप्त कर लिया गया है तथा यह वचनबद्धता दी गयी है कि समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा, जो कि इस पत्र के साथ संलग्न है।	
21	प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।	याचक विभाग के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स है तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है, जिसकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।	रिलायन्स जियो इन्फोकॉम, लि० लखनऊ द्वारा शर्त संख्या-21 के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि उनके पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स है तथा उन्हें कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन भी प्राप्त है, जिसकी प्रति संलग्न है तथा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता भी दी गयी है जो कि इस पत्र के साथ संलग्न है।	
22	भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 एफसी(पीटी), दिनांक 19.08.2010 तथा पत्र सं० J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02.12.2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरण अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।	आवश्यकता नहीं है। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।	शर्त संख्या-22 इस परियोजना में लागू नहीं है, जिसके सम्बन्ध में रिलायन्स जियो इन्फोकॉम, लि० लखनऊ द्वारा दी गयी वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।	
23	यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है तो मा० उच्च न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली जायेगी।	प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित नहीं होने संबंधी वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है व जिसकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।	शर्त संख्या-23 के अनुपालन में अवगत कराना है कि इस परियोजना की प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित नहीं है, जिसके सम्बन्ध में रिलायन्स जियो इन्फोकॉम, लि० लखनऊ द्वारा दी गयी वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।	

क्र०	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अधिरोपित शर्त का विवरण	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दी गई अनुपालन आख्या	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दी गई अनुपालन आख्या	वन संरक्षक द्वारा दी गई अनुपालन आख्या
24	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11- 9/98 - एफसी, दिनांक 08.07. 2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया है।	याचक विभाग द्वारा भू-संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र कम्पनी द्वारा प्राप्त कर लिया गया है, जो कि प्रस्ताव के साथ संलग्न है। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।	शर्त संख्या-24 के सम्बन्ध में रिलायन्स जियो इन्फोकॉम, लि० लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया है कि भू-संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र कम्पनी द्वारा प्राप्त कर लिया गया है, जो कि प्रस्ताव के साथ संलग्न है। इस सम्बन्ध में रिलायन्स जियो इन्फोकॉम, लि० लखनऊ द्वारा दी गयी वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।	
25	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर भारत सरकार पर्यावरण वन एवं मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिए धनराशि उपलब्ध करायेगा।	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि कार्य के दौरान मक का उत्सर्जन नहीं होगा अतः मक डिस्पोजल योजना लागू नहीं होती है, जिससे सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है व जिसकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।	शर्त संख्या-25 के सम्बन्ध में रिलायन्स जियो इन्फोकॉम, लि० लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया है कि कार्य के दौरान मक का उत्सर्जन नहीं होगा, जिससे मक डिस्पोजल योजना इस परियोजना पर लागू नहीं होती है, जिससे सम्बन्धित पत्र व वचनबद्धता इस पत्र के साथ संलग्न है।	
26	नोडल अधिकारी उ०प्र० द्वारा प्रत्येक माह की 5 तारीख को इस तरह के जारी अनुमति की रिपोर्ट, क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार को प्रेषित करेंगे।	विभागीय स्तर से निस्तारण सम्बन्धी।	इस कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है।	
27	प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आस पास के फलोरा (वनस्पति)/फाना के संरक्षण हेतु हर संभव उपाय करेंगे।	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि परियोजना स्थल के आस पास के फलोरा (वनस्पति)/फाना के संरक्षण हेतु हरसंभव उपाय किया जाएगा। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।	शर्त संख्या-27 के सम्बन्ध में रिलायन्स जियो इन्फोकॉम, लि० लखनऊ द्वारा यह वचनबद्धता दी गयी है कि परियोजना स्थल के आस पास के फलोरा (वनस्पति)/फाना के संरक्षण हेतु हरसंभव उपाय किया जाएगा, जो कि इस पत्र के साथ संलग्न है।	
28	प्रत्यावर्ती वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो, नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि प्रत्यावर्ती वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक होगा तो नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करा जायेगा। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।	शर्त सं०-28 के सम्बन्ध में रिलायन्स जियो इन्फोकॉम,लि० लखनऊ द्वारा यह वचनबद्धता दी गयी है कि प्रत्यावर्ती वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक होगा,तो नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा,जो कि इस पत्र के साथ संलग्न है।	

क्र०	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अधिरोपित शर्त का विवरण	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दी गई अनुपालन आख्या	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दी गई अनुपालन आख्या	वन संरक्षक द्वारा दी गई अनुपालन आख्या
29	उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, लखनऊ के अनुश्रवण के अधीन होगी।	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, लखनऊ के अनुश्रवण के अधीन होगी। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।	शर्त संख्या-29 के सम्बन्ध में रिलायन्स जियो इन्फोकॉम, लि० लखनऊ द्वारा यह वचनबद्धता दी गयी है कि उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, लखनऊ के अनुश्रवण के अधीन होगी, जो कि इस पत्र के साथ संलग्न है।	
30	उपरोक्तानुसार निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति की बिंदुवार अनुपालन आख्या में प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रस्तावित स्थल ROW से आच्छादित होने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के पश्चात विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	विभागीय स्तर से निस्तारण संबंधी।		शर्त संख्या-30 के अनुपालन में उक्त परियोजना में प्रस्तावित स्थल ROW से आच्छादित है, का प्रमाण पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
31	प्रश्नगत सैद्धांतिक स्वीकृति मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि प्रश्नगत सैद्धांतिक स्वीकृति मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की गयी है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर स्वयं उत्तरदायी होगा। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।	शर्त संख्या-30 के अनुपालन में अवगत कराना है कि उक्त प्रकरण में किसी बिन्दु पर कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी गयी है कि भविष्य में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर प्रयोक्ता अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होगा, जो कि इस पत्र के साथ संलग्न है।	

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार

(डी०एन०सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
भामेठी वन प्रभाग

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग
अमेठी, उत्तर प्रदेश।

विशय: जनपद अमेठी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-731(पुराना एन0एच0-56) लखनऊ-सुलतानपुर मार्ग के किमी0 64.00 से किमी0 112.80 तक एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-96(330) अयोध्या-सुलतानपुर-प्रयागराज मार्ग के किमी0 69.00 से किमी0 79.80 तक कुल 59.60 किमी0 एवं 0.6281 हे0 संरक्षित वन भूमि पर मार्ग के किनारे ओ0एफ0सी0 केबिल बिछाये जाने हेतु भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Others/143253/2021.

सन्दर्भ: आपका पत्रांक संख्या- 635/14-1, अमेठी दिनांक- 27.09.2022 व सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के पत्रांक सं0- भा0सा0-101/81-2-2022-800(277)/2022, दिनांक- 26.09.2022।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में उ0प्र0 शासन द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश दिनांक-26.09.2022 में अंकित समस्त शर्तों की टेबुलर फॉर्म में अनुपालन आख्या का बिन्दुवार निस्तारण निम्नानुसार है:-

क्रमांक	अनुपालन आख्या	अनुपालन आख्या का निस्तारण
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
2	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal.	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि प्रकरण में वांछित समस्त धनराशि कैम्पा फण्ड के ई-पोर्टल पर जमा कर दी जायेगी। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
3	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी, अमेठी महोदय से FRA Certificate प्राप्त कर लिया गया है, जो कि इस पत्र के साथ संलग्न है।
4	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986 if applicable.	आवश्यकता नहीं है। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
5	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रकरण के ले-आउट प्लान में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जायेगा। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
6	No labour camps shall be established on the forest land	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि कार्य के दौरान वन भूमि पर कोई श्रमिक कैम्प स्थापित नहीं किया जायेगा। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
7	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि श्रमिकों को वैकल्पिक ईंधन, अन्य व्यवस्था आदि की पूर्ती याचक विभाग द्वारा की जायेगी। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
8	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि परियोजना की अवधि, प्रयोक्ता अभिकरण के प्रोजेक्ट की अवधि या परियोजना के अवधि के पक्ष में दी जाने वाले पट्टे की अवधि जो भी कम हो पर लागू होगा। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।



Reliance Jio

Infocomm Limited

9	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, Department or person without prior approval of Govt. of India	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी अन्य एजेंसी, विभाग, या व्यक्ति को प्रस्तावित वन भूमि हस्तांतरित नहीं की जायेगी। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
10	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEE&CC Guideline F.No.11-42/2017-FC dt 29/01/2018	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया जायेगा। अगर किसी भी शर्त का उल्लंघन पाया जाता है तो वन संरक्षण अधिनियम-1980 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार MoEE&CC Guideline F.No.11-42/2017-FC dt 29/01/2018 के तहत स्वयं उत्तरदायी होंगे। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
11	Any other condition that the ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय द्वारा संरक्षण/सुरक्षा एवं विकास से सम्बंधित शर्त प्रयोक्ता एजेंसी को मान्य है। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
12	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in)	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि प्रकरण में वांछित समस्त बिन्दुओं पर चाही गयी अनुपालन आख्या ई/पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर उपलब्ध करा दी जायेगी। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
13	ओ0एफ0सी0/ पाइप लाइन/ टेलीफोन लाइन/ मार्गों/ सड़कों/वर्तमान (Surface Right) में प्रयुक्त रास्तों के किनारे – किनारे ही बिछाये जायेंगे।	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि ओ0एफ0सी0/ पाइप लाइन/टेलीफोन लाइन/मार्गों/सड़कों/वर्तमान(Surface Right) में प्रयुक्त रास्तों के किनारे-किनारे ही बिछाई जायेगी। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
14	ओ0एफ0सी0/पाइप लाइन/टेलीफोन लाइन बिछाने हेतु खोदे जाने वाले ट्रेंच की गहराई 2.00 मीटर तथा चौड़ाई 1.00 मीटर से अधिक नहीं होगी।	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि ओ0एफ0सी0/ पाइप लाइन/टेलीफोन लाइन बिछाने हेतु खोदे जाने वाले ट्रेंच की गहराई 2.00 मीटर तथा चौड़ाई 1.00 मीटर से अधिक नहीं होगी। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
15	प्रस्तावक एजेंसी द्वारा खोदी गयी ट्रेंच को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि खोदी गयी ट्रेंच/पिट को भर कर कम्पैक्ट कर दिया जायेगा जिससे कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
16	प्रस्तावक एजेंसी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी। परियोजना में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी एवं परियोजना में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
17	वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में सहमति दी जाती है। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
18	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुसूचन का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि अनुसूचन का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग से अनुमति ली जायेगी। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
19	भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भाँति यथावत् बना रहेगा।	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं लिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भाँति यथावत् बना रहेगा। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।

Formerly, Infotel Broadband Services Limited"

Local Office Address:- Rohtas 'K' Trident, 2nd Floor, 10-Rana Pratap Marg, Lucknow-226001



Reliance Jio

Infocomm Limited

20	प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।	याचक विभाग द्वारा भू-स्वामित्व वाले विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है तथा इस पत्र के साथ संलग्न है एवं यह वचनबद्धता दी जाती है कि समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
21	प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।	याचक विभाग के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स है तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है, जिसकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
22	भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19.08.2010 तथा पत्र संख्या J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02.12.2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरण अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।	आवश्यकता नहीं है। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
23	यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है तो गा0 उच्च न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली जायेगी।	प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित नहीं होने संबंधी वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है व जिसकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
24	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98 - एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजिटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया है।	याचक विभाग द्वारा भू-संदर्भित डिजिटल डाटा/मानचित्र कम्पनी द्वारा प्राप्त कर लिया गया है, जो कि प्रस्ताव के साथ संलग्न है। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
25	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर भारत सरकार पर्यावरण वन एवं मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिए धनराशि उपलब्ध करायेगा।	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि कार्य के दौरान मक का उत्सर्जन नहीं होगा अतः मक डिस्पोजल योजना लागू नहीं होती है जिसके संबंधी वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है व जिसकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
26	नोडल अधिकारी उ0प्र0 द्वारा प्रत्येक माह की 5 तारीख को इस तरह के जारी अनुमति की रिपोर्ट, क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार को प्रेषित करेंगे।	विभागीय स्तर से निस्तारण संबंधी।
27	प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आस पास के फ्लोरा (वनस्पति)/फाना के संरक्षण हेतु हर संभव उपाय करेंगे।	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि परियोजना स्थल के आस पास के फ्लोरा (वनस्पति)/फाना के संरक्षण हेतु हरसंभव उपाय किया जाएगा। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
28	प्रत्यावर्ती वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो, नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि प्रत्यावर्ती वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक होगा तो नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करा जायेगा। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।

Formerly, Infotel Broadband Services Limited"

Local Office Address:- Rohtas 'K' Trident, 2nd Floor, 10-Rana Pratap Marg, Lucknow-226001



Reliance Jio

Infocomm Limited

29	उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, लखनऊ के अनुश्रवण के अधीन होगी।	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, लखनऊ के अनुश्रवण के अधीन होगी। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
30	उपरोक्तानुसार निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति की बिंदुवार अनुपालन आख्या में प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रस्तावित स्थल ROW से आच्छादित होने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के पश्चात विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	विभागीय स्तर से निस्तारण संबंधी।
31	प्रश्नगत सैद्धांतिक स्वीकृति मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि प्रश्नगत सैद्धांतिक स्वीकृति मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की गयी है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर स्वयं उत्तरदायी होगा। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।

अतः आपसे निवेदन है कि विधिवत स्वीकृति प्रदान करने के कम में अग्रेतर कार्यवाही करने की कृपा करें। एवं उपरोक्त विषयांकित मार्गों पर भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की नवीनतम जारी गाइड लाइन (Handbook), दिनांक 28.03.2019 के अध्याय-11 के पैरा नं०- 11.2 के कम में Working Permission जारी करने की कृपा करें।

(जी० एन० सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, अमेठी

भवदीय,
कृते रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
पंकज खेर (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार 05 प्रतियों में बिन्दुवार अनुपालन आख्या।

जनपद अमेठी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-731(पुराना एन0एच0-56) लखनऊ-सुलतानपुर मार्ग के किमी0 64.00 से किमी0 112.80 तक एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-96(330) अयोध्या-सुलतानपुर-प्रयागराज मार्ग के किमी0 69.00 से किमी0 79.80 तक कुल 59.60 किमी0 एवं 0.6281 हे0 संरक्षित वन भूमि पर मार्ग के किनारे ओ0एफ0सी0 केबिल बिछाये जाने हेतु भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Others/143253/2021.

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं0-1

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(डी0एन0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, अमेठी

कृते रिलाएन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
पंकज खेर (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

जनपद अमेठी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-731(पुराना एन0एच0-56) लखनऊ-सुलतानपुर मार्ग के किमी0 64.00 से किमी0 112.80 तक एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-96(330) अयोध्या-सुलतानपुर-प्रयागराज मार्ग के किमी0 69.00 से किमी0 79.80 तक कुल 59.60 किमी0 एवं 0.6281 हे0 संरक्षित वन भूमि पर मार्ग के किनारे ओ0एफ0सी0 केबिल बिछाये जाने हेतु भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Others/143253/2021.

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं0-2

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि प्रकरण में वांछित समस्त धनराशि कैम्पा फण्ड के ई-पोर्टल पर जमा कर दी जायेगी।

(डी0एन0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
प्रमाण, अमेठी

कृते रिलाएन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
पंकज खर (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

जनपद अमेठी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-731(पुराना एन0एच0-56) लखनऊ-सुलतानपुर मार्ग के किमी0 64.00 से किमी0 112.80 तक एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-96(330) अयोध्या-सुलतानपुर-प्रयागराज मार्ग के किमी0 69.00 से किमी0 79.80 तक कुल 59.60 किमी0 एवं 0.6281 हे0 संरक्षित वन भूमि पर मार्ग के किनारे ओ0एफ0सी0 केबिल बिछाये जाने हेतु भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Others/143253/2021.

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं0-3

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रक्रियाधीन है तथा MOEF&CC letter No. 11-43/2013-FC dated 26th February, 2019 के अनुपालन में याचक विभाग द्वारा जिलाधिकारी, अमेठी महोदय से FRA प्रमाण-पत्र कर लिया गया है, जो संलग्न है।

(डी0एन0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन विभाग, अमेठी

कृते रिलाएन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
पंकज खेर (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

FORM-I

(for-plantations on non-forest land and notified as "protected forest" on or after 13th December 1930 and located in villages having no recorded Scheduled Tribe Population as per 2001 and 2011 census)

[Rule 6 (3) (e) of Forest (Conservation) Rules 2003 as amended up to date]

Government of Uttar Pradesh

Office of District Collector, Amethi

No. 2346/14-10.....Dated. 04-03-2023

TO WHOM SOEVER IT, MAY CONCERN

In compliance of the Rule 6(3)(e) of the Forest (Conservation) Rules, 2003 [as amended vide the Forest (Conservation) Amendment Rules 2014; Forest (Conservation) Second Amendment Rules 2014; and Forest (Conservation) Amendment Rules 2016] it is certified that **0.6281 Hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Relince Jio** for Under ground OFC laying in the district falls within the jurisdiction of **Amethi District**, Uttar Pradesh **Lucknow to Sultanpur NH-731(Old NH-56) Km 64.00-112.80**, in **Tiloi & Musafirkhana tehsil** and **Ayodhya-Sultanpur-Prayagraj NH-96(330) Km 69.00-79.80**, in **Amethi tehsil** having no recorded population of Scheduled Tribes as per Census of India 2001 and 2011. It is further certified that:

(a) The Protected Forest (s) namely **Lucknow to Sultanpur (Sultanpur-Lucknow -Baliya) & Ayodhya-Sultanpur-Prayagraj (Allahabad-Faizabad) Road** involved in the above village are plantations raised on non-forest land on or after 13th December 1930 and were notified as PF vide notification no (s) 1115/14-331-50 dated-10-02-1960.

(b) Therefore, these PFs neither have residing Scheduled Tribes nor have Other Traditional Forest Dwellers (Residing in the PFs for more than 75 years) having rights recognized under Forest Rights Act, 2006.

(D.N.Singh)

Divisional Forest Officer

Social Forestry Division Amethi

प्रजातीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, अमेठी

(Rakesh Kumar Mishra)

District Magistrate

Amethi

जिला मजिस्ट्रेट
अमेठी (उ०प्र०)

जनपद अमेठी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-731(पुराना एन0एच0-56) लखनऊ-सुलतानपुर मार्ग के किमी0 64.00 से किमी0 112.80 तक एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-96(330) अयोध्या-सुलतानपुर-प्रयागराज मार्ग के किमी0 69.00 से किमी0 79.80 तक कुल 59.60 किमी0 एवं 0.6281 हे0 संरक्षित वन भूमि पर मार्ग के किनारे ओ0एफ0सी0 केबिल बिछाये जाने हेतु भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Others/143253/2021.

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं0-4

याचक विभाग यह वचनबद्धता दी जाती है सक्षम स्तर से पर्यावरण अनापत्ति/अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

(डी0एन0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, अमेठी

कृते रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

जनपद अमेठी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-731(पुराना एन0एच0-56) लखनऊ-सुलतानपुर मार्ग के किमी0 64.00 से किमी0 112.80 तक एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-96(330) अयोध्या-सुलतानपुर-प्रयागराज मार्ग के किमी0 69.00 से किमी0 79.80 तक कुल 59.60 किमी0 एवं 0.6281 हे0 संरक्षित वन भूमि पर मार्ग के किनारे ओ0एफ0सी0 केबिल बिछाये जाने हेतु भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Others/143253/2021.

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं0-5

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रकरण के ले-आउट प्लान में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जायेगा।

(डी0एन0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन विभाग, अमेठी

कृते रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

जनपद अमेठी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-731(पुराना एन0एच0-56) लखनऊ-सुलतानपुर मार्ग के किमी0 64.00 से किमी0 112.80 तक एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-96(330) अयोध्या-सुलतानपुर-प्रयागराज मार्ग के किमी0 69.00 से किमी0 79.80 तक कुल 59.60 किमी0 एवं 0.6281 हे0 संरक्षित वन भूमि पर मार्ग के किनारे ओ0एफ0सी0 केबिल बिछाये जाने हेतु भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Others/143253/2021.

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं0-6

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि कार्य के दौरान वन भूमि पर कोई श्रमिक कैम्प स्थापित नहीं किया जायेगा।

(डी0एन0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन विभाग, अमेठी

कृते रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
पंकज खेर (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

जनपद अमेठी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-731(पुराना एन0एच0-56) लखनऊ-सुलतानपुर मार्ग के किमी0 64.00 से किमी0 112.80 तक एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-96(330) अयोध्या-सुलतानपुर-प्रयागराज मार्ग के किमी0 69.00 से किमी0 79.80 तक कुल 59.60 किमी0 एवं 0.6281 हे0 संरक्षित वन भूमि पर मार्ग के किनारे ओ0एफ0सी0 केबिल बिछाये जाने हेतु भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Others/143253/2021.

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं0-7

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि श्रमिकों को वैकल्पिक ईंधन, अन्य व्यवस्था आदि की पूर्ति याचक विभाग द्वारा की जायेगी।

(डी0एन0सिंह)
प्रशासी वनाधिकारी
वन विभाग, अमेठी

कृते रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

जनपद अमेठी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-731(पुराना एन0एच0-56) लखनऊ-सुलतानपुर मार्ग के किमी0 64.00 से किमी0 112.80 तक एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-96(330) अयोध्या-सुलतानपुर-प्रयागराज मार्ग के किमी0 69.00 से किमी0 79.80 तक कुल 59.60 किमी0 एवं 0.6281 हे0 संरक्षित वन भूमि पर मार्ग के किनारे ओ0एफ0सी0 केबिल बिछाये जाने हेतु भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Others/143253/2021.

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं0-8

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि परियोजना की अवधि, प्रयोक्ता अभिकरण के प्रोजेक्ट की अवधि या परियोजना के अवधि के पक्ष में दी जाने वाले पट्टे की अवधि जो भी कम हो पर लागू होगा।

(डी0एम0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, अमेठी

कृते रिलाएन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

पंकज सिंह (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

जनपद अमेठी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-731(पुराना एन0एच0-56) लखनऊ-सुलतानपुर मार्ग के किमी0 64.00 से किमी0 112.80 तक एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-96(330) अयोध्या-सुलतानपुर-प्रयागराज मार्ग के किमी0 69.00 से किमी0 79.80 तक कुल 59.60 किमी0 एवं 0.6281 हे0 संरक्षित वन भूमि पर मार्ग के किनारे ओ0एफ0सी0 केबिल बिछाये जाने हेतु भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Others/143253/2021.

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं0-9

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी अन्य एजेन्सी, विभाग, या व्यक्ति को प्रस्तावित वन भूमि हस्तांतरित नहीं की जायेगी।

(डी0एम0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
जनपद प्रयाग, अमेठी

कृते रिलाएन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

पंकज खर (प्रबन्धक)
रिलाएन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

जनपद अमेठी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-731(पुराना एन0एच0-56) लखनऊ-सुलतानपुर मार्ग के किमी0 64.00 से किमी0 112.80 तक एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-96(330) अयोध्या-सुलतानपुर-प्रयागराज मार्ग के किमी0 69.00 से किमी0 79.80 तक कुल 59.60 किमी0 एवं 0.6281 हे0 संरक्षित वन भूमि पर मार्ग के किनारे ओ0एफ0सी0 केबिल बिछाये जाने हेतु भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Others/143253/2021.

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं0-10

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया जायेगा। अगर किसी भी शर्त का उल्लंघन पाया जाता है तो वन संरक्षण अधिनियम-1980 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार MoEE&CC Guideline F.No.11-42/2017-FC dt 29/01/2018 के तहत स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(डी0एन0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन विभाग, अमेठी

कृते रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
पंकज खेर (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

जनपद अमेठी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-731(पुराना एन0एच0-56) लखनऊ-सुलतानपुर मार्ग के किमी0 64.00 से किमी0 112.80 तक एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-96(330) अयोध्या-सुलतानपुर-प्रयागराज मार्ग के किमी0 69.00 से किमी0 79.80 तक कुल 59.60 किमी0 एवं 0.6281 हे0 संरक्षित वन भूमि पर मार्ग के किनारे ओ0एफ0सी0 कैंबिल बिछाये जाने हेतु भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Others/143253/2021.

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं0-11

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय द्वारा संरक्षण/सुरक्षा एवं विकास से सम्बंधित शर्त प्रयोक्ता ऐजेन्सी को मान्य है।


(श्री0 एन0 सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
जन प्रभाग, अमेठी

कृते रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

जनपद अमेठी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-731(पुराना एन0एच0-56) लखनऊ-सुलतानपुर मार्ग के किमी0 64.00 से किमी0 112.80 तक एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-96(330) अयोध्या-सुलतानपुर-प्रयागराज मार्ग के किमी0 69.00 से किमी0 79.80 तक कुल 59.60 किमी0 एवं 0.6281 हे0 संरक्षित वन भूमि पर मार्ग के किनारे ओ0एफ0सी0 केबिल बिछाये जाने हेतु भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Others/143253/2021.

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं0-12

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि प्रकरण में वांछित समस्त बिन्दुओं पर चाही गयी अनुपालन आख्या ई/पोर्टल (<https://parivesh.nic.in>) पर उपलब्ध करा दी जायेगी।

(डी0एन0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, अमेठी

कृते रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

जनपद अमेठी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-731(पुराना एन0एच0-56) लखनऊ-सुलतानपुर मार्ग के किमी0 64.00 से किमी0 112.80 तक एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-96(330) अयोध्या-सुलतानपुर-प्रयागराज मार्ग के किमी0 69.00 से किमी0 79.80 तक कुल 59.60 किमी0 एवं 0.6281 हे0 संरक्षित वन भूमि पर मार्ग के किनारे ओ0एफ0सी0 केबिल बिछाये जाने हेतु भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Others/143253/2021.

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं0-13

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि ओ0एफ0सी0/पाइप लाइन/टेलीफोन लाइन/मार्गों/सड़कों/वर्तमान (Surface Right) में प्रयुक्त रास्तों के किनारे-किनारे ही बिछायी जायेगी।

(डी0एन0सिंह)
प्रमाणित वनाधिकारी
जन प्रभाग, अमेठी

कृते रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

जनपद अमेठी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-731(पुराना एन0एच0-56) लखनऊ-सुलतानपुर मार्ग के किमी0 64.00 से किमी0 112.80 तक एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-96(330) अयोध्या-सुलतानपुर-प्रयागराज मार्ग के किमी0 69.00 से किमी0 79.80 तक कुल 59.60 किमी0 एवं 0.6281 हे0 संरक्षित वन भूमि पर मार्ग के किनारे ओ0एफ0सी0 केबिल बिछाये जाने हेतु भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Others/143253/2021.

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं0-14

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि ओ0एफ0सी0 / पाइप लाइन/टेलीफोन लाइन बिछाने हेतु खोदे जाने वाले ट्रेंच की गहराई 2.00 मीटर तथा चौड़ाई 1.00 मीटर से अधिक नहीं होगी।

(डी0एन0 सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, अमेठी

कृते रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

जनपद अमेठी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-731(पुराना एन0एच0-56) लखनऊ-सुलतानपुर मार्ग के किमी0 64.00 से किमी0 112.80 तक एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-96(330) अयोध्या-सुलतानपुर-प्रयागराज मार्ग के किमी0 69.00 से किमी0 79.80 तक कुल 59.60 किमी0 एवं 0.6281 हे0 संरक्षित वन भूमि पर मार्ग के किनारे ओ0एफ0सी0 केबिल बिछाये जाने हेतु भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Others/143253/2021.

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं0-15

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि खोदी गयी ट्रेन्च/पिट को भर कर कम्पैक्ट कर दिया जायेगा जिससे कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।

(डी0एन0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन विभाग, अमेठी

कृते रिलाएन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

जनपद अमेठी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-731(पुराना एन0एच0-56) लखनऊ-सुलतानपुर मार्ग के किमी0 64.00 से किमी0 112.80 तक एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-96(330) अयोध्या-सुलतानपुर-प्रयागराज मार्ग के किमी0 69.00 से किमी0 79.80 तक कुल 59.60 किमी0 एवं 0.6281 हे0 संरक्षित वन भूमि पर मार्ग के किनारे ओ0एफ0सी0 केबिल बिछाये जाने हेतु भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Others/143253/2021.

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं0-16

याचक विभाग यह वचनबद्धता दी जाती है कि स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी एवं परियोजना में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।

(डी0एम0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, अमेठी

कृते रिलाएन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
पंकज खर (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

जनपद अमेठी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-731(पुराना एन0एच0-56) लखनऊ-सुलतानपुर मार्ग के किमी0 64.00 से किमी0 112.80 तक एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-96(330) अयोध्या-सुलतानपुर-प्रयागराज मार्ग के किमी0 69.00 से किमी0 79.80 तक कुल 59.60 किमी0 एवं 0.6281 हे0 संरक्षित वन भूमि पर मार्ग के किनारे ओ0एफ0सी0 केबिल बिछाये जाने हेतु भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Others/143253/2021.

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं0-17

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में सहमति दी जाती है।

(जी0एन0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, अमेठी

कृते रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

जनपद अमेठी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-731(पुराना एन0एच0-56) लखनऊ-सुलतानपुर मार्ग के किमी0 64.00 से किमी0 112.80 तक एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-96(330) अयोध्या-सुलतानपुर-प्रयागराज मार्ग के किमी0 69.00 से किमी0 79.80 तक कुल 59.60 किमी0 एवं 0.6281 हे0 संरक्षित वन भूमि पर मार्ग के किनारे ओ0एफ0सी0 केबिल बिछाये जाने हेतु भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Others/143253/2021.

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं0-18

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग से अनुमति ली जायेगी।

(डी0एन0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, अमेठी

कृते रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
पंकज खेर (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

जनपद अमेठी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-731(पुराना एन0एच0-56) लखनऊ-सुलतानपुर मार्ग के किमी0 64.00 से किमी0 112.80 तक एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-96(330) अयोध्या-सुलतानपुर-प्रयागराज मार्ग के किमी0 69.00 से किमी0 79.80 तक कुल 59.60 किमी0 एवं 0.6281 हे0 संरक्षित वन भूमि पर मार्ग के किनारे ओ0एफ0सी0 केबिल बिछाये जाने हेतु भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Others/143253/2021.

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं0-19

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं लिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भाँति यथावत् बना रहेगा।

(डी0एस0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, अमेठी

कृते रिलाएन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
पंकज खेर (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

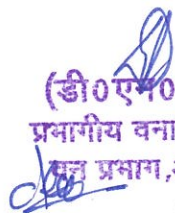
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

जनपद अमेठी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-731(पुराना एन0एच0-56) लखनऊ-सुलतानपुर मार्ग के किमी0 64.00 से किमी0 112.80 तक एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-96(330) अयोध्या-सुलतानपुर-प्रयागराज मार्ग के किमी0 69.00 से किमी0 79.80 तक कुल 59.60 किमी0 एवं 0.6281 हे0 संरक्षित वन भूमि पर मार्ग के किनारे ओ0एफ0सी0 केबिल बिछाये जाने हेतु भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Others/143253/2021.

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं0-20

याचक विभाग द्वारा भू-स्वामित्व वाले विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है एवं यह वचनबद्धता दी जाती है कि समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।


(डी0एम0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, अमेठी

कृते रिलाएन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण National Highways Authority of India

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, लखनऊ
Project Implementation Unit, Lucknow

3/248, विशाल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010
3/248, Vishal Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

दूरभाष / Phone : 91-522-2302167

ई-मेल / E-mail : luc@nhai.org

वेबसाइट / Website : www.nhai.gov.in

NHAI/PIU/LKO/NOC/OFC/2020/6057

Date : 09.11.2021

To,

The Authorized Signatory,

M/s JIO Digital Fiber Pvt. Ltd.

2nd Floor Rotas K-s Trident Building 10, Rana Pratap Marg,
Lucknow

Sub.: Permission to lay optical fiber cable from Lucknow to Sultanpur section of NH-731 from km. 90.370 to Km. 217.795 RHS side (Km. 11.500 to Km. 138.925 of Old NH-56 LHS Side) total section length ROW applied for 127.425 Km. in the state of Uttar Pradesh-reg.

**Ref.: 1. RO, UP(E), NHAI, letter no. 14769 dt. 29.10.2021
2. Your letter dated 07.07.2021
3. This office letter no. 5159 dated 09.09.2021**

Sir,

This has reference to the above mentioned subject. As per request made by you vide letter dated 07.07.2021 for granting permission for laying of optical fiber cable from Lucknow to Sultanpur Km. 217.795 to km. 90.370 along NH-731 (Old NH-56) RHS side total section length ROW applied for 127.425 Km. in the state of Uttar Pradesh, This office vide letter no. 5159 dated 09.09.2021 has forwarded the proposal to RO, UP East, Varanasi for soliciting approval of the Competent Authority.

The Competent Authority at Regional Office, UP East, Varanasi has accorded approval of provisional permission to the subject proposal vide letter no. 14769 dated 29.10.2021 with following conditions:-

1. The applicant shall ensure all safety measures/norms during execution of work.
2. The laying of OFC from km. 217.795 to km. 90.370 along NH-731 (Old NH-56) RHS side shall confirm to relevant IRC guideline and good industry practice, in addition to aforementioned Ministry's guidelines dated 22.11.2016.
3. It shall be responsibility of the Authorized representative of M/s Jio Digital Fiber pvt Ltd. to ensure the safety and maneuverability of highway traffic against various activities.
4. The laying shall be done as per agreed location route in utility duct to be constructed by Authorized Representative of M/s Jio Digital Fiber pvt. Ltd.
5. The dismantling /restoration of Lucknow-Sultanpur section of NH-731 (Old NH-56) due to said works. If any, shall be done as per standard & specification and the cost shall be borne by M/s Jio Digital Fiber Pvt. Ltd.
6. Work programme may be submitted before start of the work and ensure timely completion.
7. It shall be responsibility of M/s Jio Digital Fiber Pvt. Ltd. to co-ordinate with district administration and other required departments for getting approval /consent before start of the work.
8. It shall be responsibility of M/s Jio Digital Fiber Pvt. Ltd. to construct diversion road for smooth traffic flow, if needed.
9. In view of any future development requiring necessary alteration, including complete removal or shifting. The same shall be carried out by M/s Jio Digital Fiber Pvt. Ltd. at it own cost to the satisfaction of the Highway Administrator.
10. The applicant shall not damage any other utility services already laid along/across the proposed route.

मुख्यालय : प्लॉट सं० जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली - 110 075, दूरभाष : 91-11-25074100/200
Head Office : Plot No. G-5 & 6, Sector - 10, Dwarka, New Delhi - 110 075 Phone : 91-11-25074100/200

(डी० एन० सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
लखनऊ

पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

11. No debris / loose cart shall be dumped on NH or within ROW of NH.
12. work shall be carried out as per proposed / approved drawing submitted with the proposal. The laying of utility along NH shall be done at the extreme edge of ROW.
13. The approval is based on the submissions made by the Applicant. The Applicant is responsible for the details provided in the application. The Ministry / NHAI is at liberty to verify the authenticity of the documents at any time. Any misrepresentations, omission or suppression of facts or disclosure of incomplete facts detected at any stage shall lead to withdrawal of this approval with cost to the Applicant.
14. In case of violation of the norms of Ministry's guidelines, the NOC automatically stand withdrawn / cancelled.
15. The permission would be valid for a maximum of 5 years at a time, which can thereafter be considered for renewal. On payment of additional fee at the time of renewal, the permission shall automatically be renewed, unless defaults exist. In case of renewal, rate prevailing at the time of renewal shall be charged.

In view of the above, the Approval as received from the Competent Authority, RO, UP East, Varanasi is conveyed subject to various compliances as above and NHAI / MORTH Circulars issued time to time.

Encl : As above.

Yours truly,

(N.N. Giri)
General Manager (T) / Project Director

Copy to:-

1. The DFO, Lucknow / Barabanki / Amethi / Sultanpur for information please.
2. RPAO (NH), Lucknow (035036), DDO, Road Transport & Highways (024) for confirmation of license fee deposited through Bharat Kosh transaction reference no. 1108210010805 dated 24.08.2021
3. The Team Leader, M/s L.N. Malviya Infra Projects Pvt. Ltd, 2nd Floor, C-4/49, Sushant Golf City for information and necessary action.
4. The Authorized Signatory, M/s DBL Lucknow Sultanpur Highways Ltd. for information and necessary action.

(डी० एन० सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
जन प्रभाग, अमेठी

पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ.



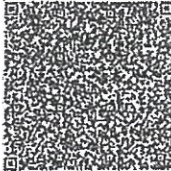
सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL Government of Uttar Pradesh



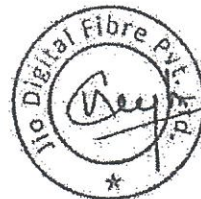
e-Stamp

Certificate No.	: IN-UP27661215114353T
Certificate Issued Date	: 10-Nov-2021 11:49 AM
Account Reference	: NEWIMPACC (SV)/ up14397604/ LUCKNOW SADAR/ UP-LKN
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUP1439760445030612379235T
Purchased by	: JIO DIGITAL FIBRE PRIVATE LIMITED
Description of Document	: Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
Property Description	: Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:
First Party	: NHAI LUCKNOW
Second Party	: JIO DIGITAL FIBRE PRIVATE LIMITED
Stamp Duty Paid By	: JIO DIGITAL FIBRE PRIVATE LIMITED
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 100 (One Hundred only)



-----Please write or type below this line-----

(N. N. Giri)
GM/PIU/Project Director
National Highways Authority of India
PIU - Lucknow



Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shoilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding.
2. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
3. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

(डी०एन० सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभाग, अमेठी

पंकज खरे (प्रबन्धक)

रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

AGREEMENT REGARDING GRANTING OF RIGHT OF WAY PERMISSIONS FOR LAYING TELECOM CABLES/DUCTS

Agreement to lay Telecom Cables/DUCT/Optical Fiber on NH -731(Old NH-56) from Km.217.795 to Km. 90.370 Total section length ROW applied for 127.425 Kms.

This Agreement made this 10th day of November 2021 between

National Highway Authority of India acting in his executive capacity through Project Director (hereinafter referred to as "Authority" which expression shall unless excluded by or repugnant to the context, include his successors in office and assigns) on the one part

AND

M/s JIO DIGITAL FIBRE PRIVATE LIMITED; a company registered under companies act 1956 and having its registered office located at 2nd Floor K-s trident Building 10 Rana Pratap Marg Lucknow -226001 Uttarpradesh. (hereafter referred as JDFPL/Licensee) which expression shall, unless excluded by or repugnant to the context, include his heirs its successors / their successors and assigns) of the second part.

(N. N. Giri)
GM(T)/Project Director
National Highways Authority of India
HQ - Lucknow

(डी०एम० सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, अमेठी

पंकज खर (प्रबन्धक)

जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

लखनऊ



Whereas the Authority is responsible, inter-alia, for development and maintenance of lands in on NH - 731(Old NH-56) from Km. 217.795 to Km. 90.370 Total section length ROW applied for 127.425 Kms. Whereas the Licensee proposes to lay Telecom cable / OFC cable / electrical cable / pipe line / ducts etc. referred to as utility services in subsequent paras.

Whereas the Licensee has applied to the Authority for permission to lay utility services on NH - 731(Old NH-56) from Km. 217.795 to Km. 90.370 Total section length ROW applied for 127.425

And whereas the Authority has agreed to grant such permission for way leave on the NHAI ROW as per terms and conditions hereinafter mentioned.

Now this agreement witnessed that in consideration of the conditions hereinafter contained and on the part of the Licensee to be observed and performed, the Authority hereby grants to the Licensee permission to lay utility services as per the approved drawing attached hereto subject to the following conditions, namely.

1. ROW permissions are only enabling in nature. The purpose of extending the way leave facility on the National Highway Row is not for enhancing the scope of activity of a utility service provider, either by content or by intent. Further, enforceability of the permission so granted shall be restricted only to the extent of provisions/scope of activities defined in the license agreement & for the purpose for which it is granted.
2. No Licensee shall claim exclusive right on the ROW and any subsequent user will be permitted to use the Row, either above or below, or by the side of the utilities laid by the first user, subject to technical requirements being fulfilled. Decision of the Authority in relation to fulfilment of technical requirements shall be final and binding on all concerned parties. In case any disruption/damage is caused to any existing user by the subsequent user, the Authority shall not be held accountable or liable in any manner.
3. The Licensee shall be responsible for undertaking all activities including, but not limited to site identification, survey, design, engineering, arranging finance, project management obtaining regulatory approvals & necessary clearances, supply of equipment, material, construction, erection, testing and commissioning, maintenance and operation and all other activities essential or required for efficient functioning of their own utility/ industrial infrastructure facilities.
4. The Licensee shall pay license fees @ ₹18399467/- to the Authority. The License fee shall become payable from the date of handing over of ROW land to the Licensee, for laying of utilities/cables/conduits/pipelines for infrastructure/ service provider. As regards Tariff and Terms and conditions for providing common utility ducts along National Highways, there shall be a separate agreement regime.
5. Fee shall have to be paid in advance for the period for which permission is granted for entering into a license agreement. In case of renewal, rate prevailing at the time of renewal shall be charged. Delay in deposition of fee shall attract interest @ 15% per annum compounded annually.
6. Present policy of the MORT&H is to provide a 2.00 m wide utility corridor on either side of the extreme edge of Row. In cases where utility ducts with sufficient space are already available along NH, The utility services shall be laid in such ducts subject to technical requirements being fulfilled.

(N. M. Giri)
GM (T)/Project Director
National Highway Authority of India
PIU Lucknow

(डी० ए० सिंह) पंकज खेर (प्रबन्धक)
राजस्थानीय वनाधिकारी
लखनऊ
प्रमाण, अमेठी



7. The utility services shall be laid at the edge of the Row. In case of restricted width of Row, which may be adequate only to accommodate the carriageway, central verge, shoulders, slopes of embankment, drains, other road side furniture etc; the utility services shall be laid beyond the toe line of the embankments and clear of the drain.
8. The Licensee shall make his own arrangement for crossing of cross drainage structure, rivers, etc. below the bed. In case, this is not feasible, the utility services may be carried outside the railings/parapets and the bridge superstructure. The fixing and supporting arrangement with all details shall be required to be approved in advance from the concerned Highway Administration. Additional cost on account of fixing and supporting arrangement as assessed by the Authority shall be payable by the Licensee.
9. In exceptional cases, where Row is restricted the utility services can be allowed beneath the carriageway of service road, if available, subject to the condition that the utility services be laid in concrete ducts, which will be designed to carry traffic on top. The width of the duct shall not be less than one lane. In such cases, it also needs to ensure that maintenance of the utility services shall not interfere with the safe and smooth flow of traffic. The cost of operation and maintenance will have to be borne by the Licensee.
10. It is to be ensured that at no time there is interference with the drainage of the road land and maintenance of the National Highways. Towards this, the top of the utility services shall be at least 0.6 metre below the ground level. However, any structure above ground shall be aesthetically provided for / landscaped with required safety measures as directed by the concerned Authority;
11. The utility services shall be permitted to cross the National Highway either through structure or conduits specially built for that purpose. The casing / conduit pipe should, as minimum, extend from drain to drain in cuts and toe of slope to toe of slope in the fills and shall be designed in accordance with the provision of IRC and executed following the Specifications of the Ministry.
12. Existing drainage structures shall not be allowed to carry the lines across.
13. The top of the casing/conduit pipe containing the utility services to cross the road shall be at least 1.2m below the top of the sub grade or the existing ground level whichever is lower, subject to being at least 0.3m below the drain inverts. A typical sketch showing the clearances is given in Attachment-I.
14. The utility services shall cross the National Highway preferable on a line normal to it or as nearly so as practicable.
15. The casing/conduit pipe for crossing the road may be installed under the road embankment either by boring or digging a trench. Installation by boring method shall be preferred.
16. In case of trenching, the sides of the trench should be done as nearly vertical as possible. The trench width should be at least 30 cm. but not more than 60 cms wider than the outer diameter of the pipe. Filling of the trench shall conform to the specifications contained here-in-below or as supplied by the Highway Authority.
 - a. Bedding shall be to a depth not less than 30 cm. It shall consist of granular material, free of lumps, clods and cobbles, and graded to yield a firm surface without sudden change in the bearing value. Unsuitable soil and rock edges should be excavated and replaced by selected material.

(N. M. Singh)
GM/ITP/Chief Director
National Highways Authority of India
P.O. Lucknow

(श्री० एन० सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
लखनऊ

पंकज खरे (प्रबन्धक)
लायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ



- b. The backfill shall be completed in two stages (i) Side-fill to the level of the top of the pipe (ii) Overfill to the bottom of the road crust.
- c. The side fill shall consist of granular material laid in 15 cm. Layers each consolidated by mechanical tamping and controlled addition of moisture to 95% of the Proctor's Density. Overfill shall be compacted to the same density as the material that had been removed. Consolidation by saturation or ponding will not be permitted.
- d. The road crust shall be built to the same strength as the existing crust on either side of the trench or to thickness and specifications stipulated by the Highway Authority.
17. The Licensee shall ensure making good the excavated trench for laying utility services by proper filling and compaction, so as to restore the land in to the same condition as it was before digging the trench, clearing debris/loose earth produced due to execution of trenching at least 50m away from the edge of the right of-way;
18. All required restoration work subsequent to laying of the cable shall be required to be undertaken by the Licensee at its cost either by itself or through its authorized representative in consultation with the Authority as per predetermined time schedule and quality standards.
19. Prior to commencement of any work on the ground, a performance Bank Guarantee @ Rs.100/- per route metre / ₹ 12742500/- with a validity of one year initially (extendable if required till satisfactory completion of work) shall have to be furnished by the Licensee to the Authority/its designated agency as a security against improper restoration of ground in terms of filling/unsatisfactory compaction damages caused to other underground installations/utility services & interference, interruption, disruption or failure caused thereof to any services etc. In case of the Licensee failing to discharge the obligation of making good of the excavated trench/other restoration work, the Authority shall have a right to make good the damages caused by excavation, at the cost of the Licensee and recover the amount by forfeiture of the Bank Guarantee.
20. In case, the Performance Bank Guarantee is invoked as mentioned above, the Licensee shall be required to replenish and reinstate the required Performance Bank Guarantee within one month of such invoking. In case the work contemplated herein is not completed to the satisfaction of the Authority, which has granted the permission, within a period of 11 months from the date of issue of the Bank Guarantee, the Licensee shall either furnish a fresh guarantee or extend the guarantee for a further period of one year. Notwithstanding this, the Licensee shall be liable to pay full compensation to the aggrieved Authority/ its designated agency for any damage sustained by them by reason of the exercise of the ROW facility;
21. The Licensee shall shift the utility services within 90 days (or as specified by the respective Authority) from the date of issue of the notice by the concerned Authority to shift/relocate the utility services, in case it is so required for the purpose of improvement/widening of the road/route/highway or construction of flyover/bridge and restore the road/land to its original condition at his own cost and risk.

(N. N. Giri)
GM/ITC/CHN
Joint Director
National Highways Authority of India
FHU - Lucknow

पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ



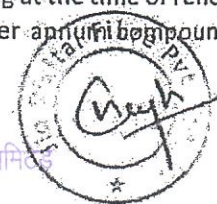
(डी०एम०सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
लखनऊ, अमेठी

22. The Licensee shall be responsible to ascertain from the respective agency in coordination with Authority, regarding the location of other utilities /underground installations/ facilities etc. The Licensee shall ensure the safety and security of already existing underground installations/utilities/facilities etc. before commencement of the excavation/using the existing cable ducts. The Licensee shall procure insurance from a reputed insurance company against damages to already existing underground installations/utilities/facilities etc.
23. The Licensee shall be solely responsible/liable for full compensation/indemnification of concerned agency / aggrieved Authority for any direct, indirect or consequential damage caused to them/claims or replacements sought for, at the cost and risk of the Licensee. The concerned agency in coordination with Authority shall also have a right make good such damages/ recover the claims by forfeiture of Bank Guarantee.
24. If the Licensee fails to comply with any condition to the satisfaction of the Authority, the same shall be executed by the Authority at the cost and risk of the Licensee.
25. Grant of License is subject to the Licensee satisfying (a) minimum disruption of traffic and (b) no damage to the highways. As far as possible, the Licensee should avoid cutting of the road for crossing highway, and other roads and try to carry out the work by trenchless technology. In case any damage is caused to the road pavement in this process, the Licensee will be required to restore the road to the original condition at its cost. If due to unavoidable reasons the road needs to be cut for crossing or laying utility services, the Licensee has to execute the restoration work in a time bound manner at its cost either by itself or through its authorized representative in consultation with the Authority as per predetermined time schedule and quality standards. In case of the Licensee failing to discharge the obligation of making good of the excavated trench/other restoration work, the Authority shall have a right to make good the damages caused by excavation, at the cost of the Licensee and recover the amount by forfeiture of the Bank Guarantee.
26. The Licensee shall inform/give a notice to the concerned agency designated by the Authority at least 15 day in advance with route details prior to digging trenches, for fresh or maintenance/repair works. A separate performance Bank Guarantee for maintenance/repair works shall have to be furnished by the Licensee.
27. Each day, the extent of digging the trenches should be strictly regulated so that utility services is laid and trenches filled up before the close of the work that day. Filling should be completed to the satisfaction of the concerned agency designated by the Authority.
28. The licensee shall indemnify the concerned agency in co-ordination with Authority, against all damages and claims, if any due to the digging of trenches for laying cables /ducts.
29. The permission for laying utility services is granted maximum for 5 years at a time, which can thereafter be considered for renewal. On payment of additional fee at the time of renewal, the permission shall automatically be renewed, unless defaults exist. In case of renewal, rate prevailing at the time of renewal shall be charged. Delay in deposition of fee shall attract interest rate) 15% per annum compounded annually.

(N. N. Giri)
GM/Project Director
National Highways Authority of India
Lucknow

(डी० एन० सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय, अमेठी

पंकज खेर (प्रबन्धक)
जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ



30. The permission shall be valid only for the period it is issued and fee deposited. However, the Authority also has a right to terminate the permission or to extend the period of Agreement.
31. That the Licensee shall not undertake any work of shifting, repairs or alterations to the utility services without prior written permission of the concerned agency in coordination with the Authority.
32. The permission granted shall not in any way be deemed to convey to the Licensee any ownership right or any interest in route/road/highway land /property, other than what is herein expressly granted. No use of NH ROW will be permitted for any purpose other than that specified in the Agreement.
33. During the subsistence of this Agreement, the utility services located in highway land / property shall be deemed to have been constructed and continued only by the consent and permission of the Authority so that the right of the Licensee to the use thereof shall not become absolute and indefeasible by lapse of time.
34. The Licensee shall bear the Stamp Duty charged on this Agreement.
35. Three copies of 'as laid drawings' of utilities (hard and soft copies) with geo-tagged photographs and geo-tagged video recordings of laying of cables in the trench (with respect to the NH) and after complete restoration shall be submitted to the Authority for verification and record within a month of completion of works.
36. The Licensee shall allow free access to the Site at all times to the authorized representatives of Authority to inspect the Project Facilities and to investigate any matter within their Authority, and upon reasonable notice, shall provide reasonable assistance necessary to carry out their respective duties and functions.
37. The utility services shall not be made operational by the Licensee unless a completion certificate to the effect that the utility services has been laid in accordance with the approved specifications and drawings and the trenches have been filled up to the satisfaction of the concerned agency in co-ordination with the Authority has been obtained. Notwithstanding anything contained herein, this Agreement may be cancelled at any time by Authority for breach of any condition of the same and the Licensee shall neither be entitled to any compensation for any loss caused to it by such cancellation nor shall it be absolved from any liability already incurred.
38. The Licensee shall ensure adherence to relevant Indian standards and follow best industry practices, methods and standards for the purpose of ensuring the safe, efficient and economic design, construction, commissioning, operation, repair and maintenance of any part of the utility lines/Industrial infrastructure facilities and which practices, methods and standards shall be adjusted as necessary, to take account of:
- Operation, repair and maintenance guidelines given by the manufacturers.
 - the requirements of Law,
 - the physical conditions at the Site, and
 - The safety of operating personnel and human beings.
39. The Licensee shall have to provide safety measures like barricading, danger lighting and other necessary caution boards while executing the work.

(N. J. Giri)
GM(T)/Project Director
National Highways Authority of India
PIU - Lucknow

पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ



(डी०एन०सिंह)
प्रशासीय वनाधिकारी
बन, प्रसाद अणेरी

40. While laying utility services, at least one lane of road shall be kept open to traffic at all times. In case of single lane roads, a diversion shall be constructed. If any traffic diversion works are found necessary during the working period such diversion shall be provided at the cost of Licensee.

41. After the termination/expiry of the agreement, the Licensee shall remove the utility services within 90 days and the site shall be brought back to the original condition failing which the Licensee will lose the right to remove the utility services. However before taking up the work of removal of utility services the Licensee shall furnish a Bank Guarantee to the Authority for a period of one year for an amount assessed by the Authority as a security for making good the excavated trench by proper filling and compaction, clearing debris, loose earth produced due to excavation of trenching at least 50m away from the edge of the ROW.

42. Any disputes in interpretation of the terms and conditions of this Agreement or their implementation shall be referred to the redress mechanism prevailing in the Ministry and the decision of the redress mechanism shall be final and binding on all.

43. For PPP Projects, in case of any financial loss incurred by the respective project concessionaires due to such laying/shifting of utility services by the Licensee, compensation for the same shall be required to be borne by the Licensee in mutual agreement with the respective project concessionaires. MORT&H/ NHAI/ implementing authorities for the project shall not be liable to the concessionaire in any way in this regard.

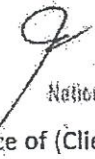
This Agreement has been executed in duplicate, each on a Stamp Paper. Each party to this Agreement has retained one stamped copy each.

IN WITNESS WHERE OF THE PARTIES HERETO HAVE CAUSED THIS AGREEMENT TO BE EXECUTED THROUGH THEIR RESPECTIVE AUTHORISED REPRESENTATIVES THE DAY AND THE YEAR FIRST ABOVE WRITTEN.

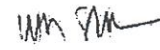
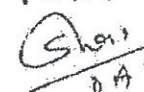
Signature of Applicant SIGNED, SEALED AND DELIVERED BY

National Highways Authority of India

(FOR AND BEHALF OF PRSIDENT OF INDIA)


(N. N. Gini)
GM (IT)/Project Director
National Highways Authority of India
P.O. - Lucknow
In the presence of (Client/Employer side)

WITNESS:

1. 
M. N. A. D.
M. N. A. D.
2. 
Shri. P. A. NHAI


(डी०एम० सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
अन प्रभाग, अमेटी

For and on behalf of

JIO DIGITAL FIBRE PRIVATE LTD.


In the presence of (Licensee side)

WITNESS:

1. 
D. P. Aggarwal (Executive)

2. 
Jeevan Joshi (Executive)

पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

उत्तर प्रदेश सरकार, लोक निर्माण विभाग

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
Office of Executive Engineer
अस्थाई खण्ड (रा0मा0) लो0नि0वि0, सुलतानपुर-228001
TY. Div. (N.H) UPPWD, Sultanpur-228001



सिविल लाइन्स, सुलतानपुर-228001
Civil Lines, Sultanpur-228001
E-mail: tydivnhpwwdsln@gmail.com

पत्रांक: 1004/10काम/2021
सेवा में,

दिनांक: 28 जुलाई, 2021

Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.
2nd Floor, Rotas K-s Trident Building,
10-Rana Pratap Marg,
Lucknow-226001

विषय:- Permission to lay optical fiber cable from Km. 100.800 to Km. 60.00 along with NH-96/330 total section length ROW applied for 40.800 Km. in the state of Uttar Pradesh.

संदर्भ:- आपका पत्रांक शून्य दिनांक 26.02.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के माध्यम से आप द्वारा रा0मा0 सं0-96 (330) के किमी0 60.00 से 100.800 (कुल 40800.00 मीटर) तक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु अनुमति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 22.11.2016 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के क्रम में निम्नानुसार संलग्न विवरणानुसार भुगतान की कार्यवाही आपसे अपेक्षित है:-

Total License Fees payable by M/s JIO Digital Fibre Private Limited for Laying of OFC Service on the form of Demand Draft in favour of "Regional Pay & Account Officer, MORT&H, Lucknow" or online deposit official website "https://morthnoc.nic.in"	Rs. 7619832.00 Rs. Seventy Six Lacs. Nineteen Thousand Eight Hundred Thirty Two only
Performance Bank Guarantee Amount calculation	
Amount of Performance Bank Guarantee to be submit mortgage in the favour of Executive Engineer, Ty. Div. (NH) PWD Sultanpur for atleast 01 Year validity = Total Number of Route Meters x Rs. 100/- per route meter ($\leq 300\text{mm dia / width}$) i.e. Rs. 40800 Mtrs. x Rs. 100	Rs. 4080000.00 Rs. Forty Lacs, Eighty Thousand only

अतः अग्रोत्तर कार्यवाही हेतु उपरोक्तानुसार/संलग्न प्रपत्र में अंकित विवरणानुसार अपेक्षित डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंक गारन्टी एवं आनलाइन आवेदन प्रविष्टि की प्रति संलग्न करते हुए सम्पूर्ण प्रकरण मूल रूप में इस कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- यथोक्त।

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड (रा0मा0), लो0नि0वि0,
सुलतानपुर।

पत्रांक: /10काम/2021 दिनांक: जुलाई, 2021

प्रतिलिपि-

- 1- मुख्य अभियन्ता, रा0मा0, लो.नि.वि., लखनऊ।
- 2- मुख्य अभियन्ता/क्षेत्रीय अधिकारी, मोर्थ, विकास नगर, लखनऊ।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, रा0मा0 वृत्त, लो.नि.वि., लखनऊ।
- 4- सहायक अभियन्ता/संबंधित अवर अभियन्ता/अवर अभियन्ता-प्रा0, अ0खं0, रा0मा0, लो0नि0वि0, सुलतानपुर।

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड (रा0मा0), लो0नि0वि0,
सुलतानपुर।

पंकज खेर (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

(डी0एम0 सिंह)
प्रभागीय यन्त्राधिकारी
कुल प्रभाम, अमेठी

Calculation of License Fees & Bank Guarantee Amount

Permission for laying of Optical Fiber Cable (OFC) of M/s JIO Digital Fibre Private Limited on NH-96 (330) (Ayodhya-Prayagraj Road) at Km 60.000 to Km 100.800 (40800mts) in the State of Uttar Pradesh

Sl. No.	District	Tehsil	Region	Name of Village	Chainage		Length Route Mtrs.	Nos.	Width (mts)	Utilized NH land Area Sq. Mtrs.	Prevailing Circle rate of Land in Rs./Sq.Mtrs. (Rate per Sq.)	Amount (Rs.)	Remarks
					from km	to km							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Sultanpur	Sadar	Urban	Payagpur	60.000	61.000	1000	2	0.04	80	11300.00	904000	
2	Sultanpur	Sadar	Semi-Urban	Ahmadnagar	61.000	63.200	2200	2	0.04	176	9200.00	1619200	
3	Sultanpur	Sadar	Rural	Tiwariapur	63.200	64.000	800	2	0.04	64	4600.00	294400	
4	Sultanpur	Sadar	Rural	Udari	64.000	65.000	1000	2	0.04	80	4600.00	368000	
5	Sultanpur	Sadar	Rural	Pakari	65.000	66.000	1000	2	0.04	80	4600.00	368000	
6	Sultanpur	Sadar	Rural	Bhada	66.000	66.900	900	2	0.04	72	5000.00	360000	
7	Sultanpur	Sadar	Rural	Ramnagar Bankal	66.900	68.000	1100	2	0.04	88	5000.00	440000	
8	Sultanpur	Sadar	Rural	Vishan	68.000	69.000	1000	2	0.04	80	4600.00	368000	
9	Ameethi	Ameethi	Rural	Gharapur	69.000	69.300	300	2	0.04	24	5800.00	139200	
10	Ameethi	Ameethi	Rural	Durgapur	69.300	70.500	1200	2	0.04	96	8800.00	844800	
11	Ameethi	Ameethi	Rural	Narbalhanpur	70.500	71.500	1100	2	0.04	88	8800.00	774400	
12	Ameethi	Ameethi	Rural	Kurang	71.500	72.300	700	2	0.04	56	8800.00	492800	
13	Ameethi	Ameethi	Rural	Rampur	72.300	73.000	700	2	0.04	56	8800.00	492800	
14	Ameethi	Ameethi	Rural	Rampur (Ranganji)	73.000	74.000	1000	2	0.04	80	8800.00	704000	
15	Ameethi	Ameethi	Rural	Sansarpur	74.000	75.400	1400	2	0.04	112	6600.00	761600	
16	Ameethi	Ameethi	Rural	Trisundi	75.400	76.600	3200	2	0.04	256	6600.00	1740800	
17	Ameethi	Ameethi	Rural	Chheera	76.600	79.800	1200	2	0.04	96	6600.00	652800	
18	Pratapgarh	Patli	Rural	Dharauli	79.800	80.000	200	2	0.04	16	8700.00	139200	
19	Pratapgarh	Patli	Rural	Madhupur Dharauli	80.000	81.400	1400	2	0.04	112	12600.00	1441200	
20	Pratapgarh	Patli	Rural	Rampur	81.400	82.200	800	2	0.04	64	9200.00	588800	
21	Pratapgarh	Patli	Rural	Khundur	82.200	83.200	1000	2	0.04	80	12600.00	1008000	
22	Pratapgarh	Patli	Rural	Ghanapur	83.200	83.600	400	2	0.04	32	8200.00	262400	
23	Pratapgarh	Patli	Rural	Kansha	83.600	85.000	1400	2	0.04	112	8700.00	974400	
24	Pratapgarh	Patli	Rural	Lakhipur	85.000	85.600	600	2	0.04	48	8600.00	412800	
25	Pratapgarh	Patli	Rural	Parashurampur	85.600	86.400	800	2	0.04	64	8300.00	531200	

(डी०एन०सिंह)
प्रमुख दनाधिकारी
आयुक्त, आयुक्त, अमेठी

29/09/2019

पंकज खर (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Pratapgarh	Patti	Rural	Suryagadh	86,400	87,400	1000	2	0.04	80	8500.00	680000	
26	Pratapgarh	Pratapgarh	Semi-Urban	Tekkar	87,400	88,200	800	2	0.04	64	6200.00	396800	
27	Pratapgarh	Pratapgarh	Semi-Urban	Gode	88,200	89,500	1300	2	0.04	104	13000.00	1352000	
28	Pratapgarh	Pratapgarh	Semi-Urban	Sonawa	89,500	91,000	1500	2	0.04	120	13000.00	1560000	
29	Pratapgarh	Pratapgarh	Semi-Urban	Ranjapur Chitla	91,000	92,400	1400	2	0.04	112	40000.00	4480000	
30	Pratapgarh	Pratapgarh	Urban	Chitla West	92,400	93,000	600	2	0.04	48	40000.00	1920000	
31	Pratapgarh	Pratapgarh	Urban	Bhalepur Belhaghat	93,000	94,400	1400	2	0.04	112	48000.00	5376000	
32	Pratapgarh	Pratapgarh	Urban	Dharmshala Ward Belhaghat	94,400	96,065	1665	2	0.04	133.2	48000.00	6393600	
33	Pratapgarh	Pratapgarh	Urban	Balipur Belhaghat	96,065	97,600	1535	2	0.04	122.8	40000.00	4912000	
34	Pratapgarh	Pratapgarh	Urban	Sayabhandh	97,600	98,000	400	2	0.04	32	11000.00	352000	
35	Pratapgarh	Pratapgarh	Semi-Urban	Gopalapur	98,000	99,500	1500	2	0.04	120	11000.00	1320000	
36	Pratapgarh	Pratapgarh	Semi-Urban	Parashurampur	99,500	100,200	700	2	0.04	56	8200.00	459200	
37	Pratapgarh	Pratapgarh	Semi-Urban	Kusumi	100,200	100,300	100	2	0.04	8	8200.00	65600	
38	Pratapgarh	Pratapgarh	Semi-Urban	Kohada	100,300	100,500	300	2	0.04	24	8200.00	196800	
39	Pratapgarh	Pratapgarh	Semi-Urban	Bhupriamau	100,500	100,800	200	2	0.04	16	11000.00	176000	
40	Pratapgarh	Pratapgarh	Semi-Urban	Total	40800	40800	3264	Total Amount			384840	23090400	

License Fees for Public Utility shall be 33% of the Fee prescribed for Industrial Utilities as per point No. 5 of MORTH 23080400 X33%
Guidelines vide letter No. RW/NH3304/29/2016/S&R (R) Dt. 22-11-2016

Total License Fees for 5 years = 384840 X12x5

7619632

Total License Fees payable by M/s. JIO Digital Fibre Private Limited for Laying of OFC Service on the form of Demand Draft in favour of "Regional Pay & Account Officer, MORT&H, Lucknow" or online deposit official website "https://mortnoc.ric.in"

Rs. 7619632

Rs. Seventy Six Lacs, Nineteen Thousand Eight Hundred Thirty Two only

Performance Bank Guarantee Amount calculation

Amount of Performance Bank Guarantee to be submit mortgage in the favour of Executive Engineer, T.Y. Div. (NH) PWD Sultanpur for atleast 01

Rs. 4080000

Year validity = Total Number of Route Meters X Rs. 100/- per route meter (<=300mm dia / width) i.e. Rs. 40800 Mtrs. X Rs. 100

(डी०एन० सिंह)
प्रमुख वनाधिकारी
राज्य प्रशासन, अमेठी

Executive Engineer
T.Y. Div. (NH) PWD
Sultanpur

प्रकाश खर (प्रबन्धक)
रियासत विद्यो इन्फार्मेशन लिमिटेड
लखनऊ

जनपद अमेठी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-731(पुराना एन0एच0-56) लखनऊ-सुलतानपुर मार्ग के किमी0 64.00 से किमी0 112.80 तक एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-96(330) अयोध्या-सुलतानपुर-प्रयागराज मार्ग के किमी0 69.00 से किमी0 79.80 तक कुल 59.60 किमी0 एवं 0.6281 हे0 संरक्षित वन भूमि पर मार्ग के किनारे ओ0एफ0सी0 केबिल बिछाये जाने हेतु भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Others/143253/2021.

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं0-21

याचक विभाग के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स है तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है।

(डी0एन0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, अमेठी

कृते रिलाएन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

10-31/2011- CS-II
Government of India
Ministry of Communications & IT
Department of Telecommunications
Sanchar Bhavan, 20 - Ashoka Road
New Delhi - 110001

Dated: 23.06.2011

To

M/s INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED
C-157, PHASE-VII, INDUSTRIAL AREA,
MOHALI-160055, PUNJAB

Subject: Registration Certificate for Infrastructure Provider Category-I (IP-I)

Please find enclosed herewith the Registration Certificate No. 370 / 2011 dated 23.06.2011 issued to M/s INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED.

The following points should be noted for strict compliance by IP-I Provider:

- (i) The scope of IP-I provider is limited to establish and maintain assets such as Dark Fibres, Right of Way, Duct Space and Tower for the purpose to grant on lease/rent/sale basis only to the licensed Telecom Service Providers licensed under Section - 4 of Indian Telegraph Act, 1885, on mutually agreed terms and conditions.
- (ii) The IP-I provider has to submit to DoT a copy of agreement entered into with the licensed Telecom Service Providers within 15 days of signing such agreement.
- (iii) Any breach of the terms and conditions given in the enclosed Registration Certificate will lead to cancellation of the registration without any further notice.

(डी०एन० सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
विह प्रमन, अमरी

23.06.2011
S.K. Singh
Section Officer (CS-II)

पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

10.31.2011-CS-III
Government of India
Ministry of Communications & IT
Department of Telecommunications
Sanchar Bhavan, 20, Ashoka Road
New Delhi-110001

Registration Certificate No.: 370 / 2011

Date: 23.06.2011

Registration Certificate For Infrastructure Provider Category-I (IP-I)

This is to certify that M/s INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED with registered office at C-157, PHASE-VII, INDUSTRIAL AREA, MOHALI-160055, PUNJAB is registered as Infrastructure Provider Category I (IP-I) to establish and maintain the assets such as Dark Fibres, Right of Way, Duct Space and Tower for the purpose to grant on lease/rent/sale basis to the licensees of Telecom Services licensed under Section 4 of Indian Telegraph Act, 1885 on mutually agreed terms and conditions.

2.0 In no case the company shall work and operate or provide telegraph service including end to end bandwidth as defined in Indian Telegraph Act, 1885 either to any service provider or any other customer.

3.0 The company shall submit a copy of an Agreement entered into with the other service providers including Infrastructure Provider Category II (IP-II) within 15 days of signing of such Agreement.

4.0 The company shall provide the said infrastructure in a non-discriminatory manner.

5.0 In the event of any question, dispute or difference arising under this Registration, or in connection thereof, except as to the matter, the decision of which is specifically provided elsewhere under this Registration, the same shall be referred to the sole Arbitrator appointed and nominated by the Director General Telecommunications or by whatever designation Director General Telecom may be called, hereinafter called the "ARBITRAL TRIBUNAL".

5.1 This Registration Certificate and any dispute thereof shall be governed by the substantive provisions of Indian law.

5.2 The venue of Arbitration shall be New Delhi or as may be fixed by the ARBITRAL TRIBUNAL anywhere in India.

5.3 The arbitration proceedings shall be conducted in accordance with the provisions of the Indian Arbitration and Conciliation Act, 1996 and rules framed thereunder or any modifications or re-enactment thereof made from time to time.

पंकज खरे (प्रबन्धक)

रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

लखनऊ

(डी०एन० सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी

वन प्रभाग, अमेठी

पंकज खरे (प्रबन्धक)

रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

लखनऊ

6.0 The Registered company can provide the infrastructure as stated above to any licensee of Telegraph services Licensed under section 4 of the Indian Telegraph Act 1885. The company shall, in no case, grant in any manner the infrastructure to any erstwhile Licensee whose licence is either terminated or suspended or not in operation at given point of time. In the event of any infrastructure allowed before hand, then the Registered company shall be obliged to withdraw the grant of infrastructure and to disconnect or sever connectivity immediately without loss of time and further, upon receipt of any reference from the Licensor in this regard, disconnection shall be made effective within an hour of receipt of such reference. On the question of disconnection the decision of the Director General Telecom shall be final.

7.0 The Registered company shall provide necessary facilities depending upon the specific situation at the relevant time to the Government to counteract espionage, subversive act, sabotage or any other unlawful activity.

7.1 The Registered company shall make available on demand to the agencies authorized by the Government of India, full access to the network for technical scrutiny and for inspection which can be visual inspection or any operational inspection.

7.2 All foreign personnel likely to be deployed by the Registered company for installation, operation and maintenance of the Registered company network shall be security cleared by the Government of India prior to their deployment. The security clearance will be obtained from the Ministry of Home Affairs, Government of India, who will follow standard norms in the matter.

7.3 The Registered company shall ensure protection of privacy of communication and ensure that unauthorized interception of messages does not take place.

7.4 The Government shall have the right to take over the equipment and networks of the Registered company or revoke/terminate/suspend the Registration of the company either in part or in whole as per directions if any, issued in the public interest by the Government in case of emergency or war or low intensity conflict or any other eventuality. Provided any specific orders or direction from the Government issued under such conditions shall be applicable to the Registered company and shall be strictly complied with. Further, the Government reserves the right to keep any area out of the operation zone of the service if implications of security so require.

7.5 Government reserves the right to modify these conditions or incorporate new conditions considered necessary in the interest of national security and public interest.

7.6 The Registered company will ensure that the Telecommunication installation carried out by it should not become a safety hazard and is or in contravention of any statute, rule or regulation and public policy.

8.0 Any breach of the above terms will lead to cancellation of the registration without any further notice.

To
M/A INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED
C-157, PHASE VII, INDUSTRIAL AREA, MOHALI-160055, PUNJAB


(S.T. Abbas)
DIRECTOR (CS-III)
(एच. टी. अब्बास, सी. टी. अब्बास)
निदेशक (सी. टी. अब्बास)
Director (CS-III)
Telecom. or Telecomm. Govt. of India
New Delhi


(डी० एम० सिंह)
प्रभागीय वन्याधिकारी
प्रभागीय वन्याधिकारी

पंकज खुर (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

पंकज खुर (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

भारत सरकार-कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय
कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय, महाराष्ट्र, मुंबई

नाम परिवर्तन के पश्चात नया निगमन प्रमाण-पत्र

कॉर्पोरेट पहचान संख्या : U72900MH2007PLC234712

पैदाश : INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED

के मामले में, मैं एतद्वारा सत्यापित करता हूँ कि पैदाश
INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED

जो मूल रूप में दिनांक पंद्रह फरवरी दो हजार सात को कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अंतर्गत पैदाश
INFOTEL BROADBAND SERVICES PRIVATE LIMITED

के रूप में निर्माण की गई थी, के कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 21 की शर्तों के अनुसार विहित आदेशों के अधिनियम, 1956 की धारा 21 के साथ पठित, भारत सरकार, कंपनी कार्य
विभाग, नई दिल्ली की अधिसूचना सं. रा. का. नि. 507 (अ) दिनांक 24.0.1985 एन.ओ.एन. B66053604 दिनांक 22/01/2013 के द्वारा
प्राप्त हो गया है, उक्त कंपनी का नाम आज परिवर्तित रूप में पैदाश
Reliance Jio Infocomm Limited

हो गया है और यह प्रमाण-पत्र, कथित अधिनियम की धारा 23(1) के अनुरूप में जारी किया जाता है।

यह प्रमाण-पत्र मुंबई में आज दिनांक बाईस जनवरी दो हजार तेरह को जारी किया जाता है।

GOVERNMENT OF INDIA - MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
Registrar of Companies, Maharashtra, Mumbai

Fresh Certificate of Incorporation Consequent upon Change of Name

Corporate Identity Number : U72900MH2007PLC234712

In the matter of M/s INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED

I hereby certify that INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED which was originally incorporated on Fifteenth day of February Two Thousand Seven under the Companies Act, 1956 (No. 1 of 1956) as INFOTEL BROADBAND SERVICES PRIVATE LIMITED having duly passed the necessary resolution in terms of Section 21 of the Companies Act, 1956 and the approval of the Central Government signified in writing having been accorded thereto under Section 21 of the Companies Act, 1956, read with Government of India, Department of Company Affairs, New Delhi, Notification No. G.S.R. 507(E) dated 24/08/1985 vide SRN B66053604 dated 22/01/2013 the name of the said company is this day changed to Reliance Jio Infocomm Limited and this Certificate is issued pursuant to Section 23(1) of the said Act.

Given at Mumbai this Twenty Second day of January Two Thousand Thirteen.

Registrar of Companies, Maharashtra, Mumbai

कंपनी रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र, मुंबई

*Note: The corresponding form has been approved by ANURADHA BHASKAR ATHAVALE, Deputy Registrar of Companies and this certificate has been digitally signed by the Registrar through a system generated digital signature under rule 5(2) of the Companies (Electronic Filing and Authentication of Documents) Rules, 2006.

The digitally signed certificate can be verified at the Ministry website (www.mca.gov.in).

कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यालय अभिलेख में उपलब्ध पत्राचार का पता :

Mailing Address as per record available in Registrar of Companies office:

Reliance Jio Infocomm Limited
3rd Floor, Maker Chambers IV,, 222, Nariman Point.,
Mumbai - 400021,
Maharashtra, INDIA

For Reliance Jio Infocomm Limited

पंकज खेर (प्रबन्धक)

Company Secretary

रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

(डी०एस०सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
लखनऊ

जनपद अमेठी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-731(पुराना एन0एच0-56) लखनऊ-सुलतानपुर मार्ग के किमी0 64.00 से किमी0 112.80 तक एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-96(330) अयोध्या-सुलतानपुर-प्रयागराज मार्ग के किमी0 69.00 से किमी0 79.80 तक कुल 59.60 किमी0 एवं 0.6281 हे0 संरक्षित वन भूमि पर मार्ग के किनारे ओ0एफ0सी0 केबिल बिछाये जाने हेतु भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Others/143253/2021..

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं0-22

याचक विभाग यह वचनबद्धता दी जाती है सक्षम स्तर से पर्यावरण अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

(डी0एन0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, अमेठी

कृते रिलाएन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

जनपद अमेठी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-731 (पुराना एन0एच0-56) लखनऊ-सुलतानपुर मार्ग के किमी0 64.00 से किमी0 112.80 तक एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-96(330) अयोध्या-सुलतानपुर-प्रयागराज मार्ग के किमी0 69.00 से किमी0 79.80 तक कुल 59.60 किमी0 एवं 0.6281 हे0 संरक्षित वन भूमि पर मार्ग के किनारे ओ0एफ0सी0 केबिल बिछाये जाने हेतु भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Others/143253/2021.

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं0-23

याचक विभाग द्वारा प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित नहीं होने संबंधी वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

(डी0एन0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, अमेठी

कृते रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
पंकज खर (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

सेन्चूरी/वन जीव बिहार हेतु प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अमेठी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-731(पूर्व सं०-56) (लखनऊ-सुलतानपुर मार्ग) के कि.मी. 64.00 से कि.मी. 112.80 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-96(330) (अयोध्या-सुलतानपुर-प्रयागराज मार्ग) के कि.मी. 69.00 से कि.मी. 79.80 तक कुल कि.मी. 59.60 एवं 0.6281 हे० पर सामाजिक वानिकी प्रभाग अमेठी में ऑप्टिकल फाईबर केबिल (ओ०एफ०सी०) डालने हेतु प्रस्तावित निर्माण स्थल के 10 कि०मी० की परिधि के अन्दर कोई भी सन्चूरी/वन जीव बिहार स्थापित नहीं है।

(डी०एन०सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
जन प्रभाग, अमेठी

कृते रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
पंकज खर (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

जनपद अमेठी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-731(पुराना एन0एच0-56) लखनऊ-सुलतानपुर मार्ग के किमी0 64.00 से किमी0 112.80 तक एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-96(330) अयोध्या-सुलतानपुर-प्रयागराज मार्ग के किमी0 69.00 से किमी0 79.80 तक कुल 59.60 किमी0 एवं 0.6281 हे0 संरक्षित वन भूमि पर मार्ग के किनारे ओ0एफ0सी0 केबिल बिछाये जाने हेतु भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Others/143253/2021.

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं0-24

याचक विभाग द्वारा भू-संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र कम्पनी द्वारा प्राप्त कर लिया गया है, जो कि प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

(डी0एन0सिंह)
प्रशासीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, अमेठी

कृते रिलाएन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
पंकज खर (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

जनपद अमेठी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-731(पुराना एन0एच0-56) लखनऊ-सुलतानपुर मार्ग के किमी0 64.00 से किमी0 112.80 तक एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-96(330) अयोध्या-सुलतानपुर-प्रयागराज मार्ग के किमी0 69.00 से किमी0 79.80 तक कुल 59.60 किमी0 एवं 0.6281 हे0 संरक्षित वन भूमि पर मार्ग के किनारे ओ0एफ0सी0 केबिल बिछाये जाने हेतु भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Others/143253/2021.

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं0-25

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि कार्य के दौरान मक का उत्तसर्जन नहीं होगा अतः मक डिस्पोजल योजना लागू नहीं होती है जिसके संबंधी वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न हैं।

(डी0एन0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, अमेठी

कृते रिलाएन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
पंकज खर (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

Name of project:- Reliance 4G project for Laying of Optical Fibre Cable (OFC) along with NH-731(Old NH-56) (Lucknow-Sultanpur Road) from Km. 64.00 to Km. 112.80 & NH-96(330) (Ayodhya-Sultanpur-Prayagraj Road) from Km.69.00 to Km 79.80. Total Km. 59.60 & 0.6281 Ha. in Social Forestry Division Amethi, District - Amethi -UP.

MUCK DISPOSAL PLANNING

This is not applicable for this project

	Details	Quantity	Unit
	Material received from hill side	Nil	Cum
	Material received from hill cutting including 40% of swell factor.	Nil	Cum
	Total	Nil	Cum
	Disposal and material	Nil	Cum
1.	R.R. Stone masonry laid 1:5	Nil	Cum
2.	R.R. Stone masonry laid dry	Nil	Cum
3.	Hand packed stone filling	Nil	Cum
4.	Construction of wire crate	Nil	Cum
5.	Construction of parapet	Nil	Cum
6.	Granular of sub base / base / surface	Nil	Cum
7.	Construction of scrapper.	Nil	Cum
8.	Construction of road side drain.	Nil	Cum
9.	Super elevation and patria filling	Nil	Cum
10.	Concrete work	Nil	Cum
11.	Total	Nil	Cum
12.	Material disposal by cartage	Nil	Cum

Summary of Debris Disposal.

S.No.	Total Material	Material Disposal	Reused material for road construction	Total Disposal in dumping zone
	Nil	Nil	Nil	Nil

(डी०एन०सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, अमेठी

पंकज खर (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

Name of project:- Reliance 4G project for Laying of Optical Fibre Cable (OFC) along with NH-731(Old NH-56) (Lucknow-Sultanpur Road) from Km. 64.00 to Km. 112.80 & NH-96(330) (Ayodhya-Sultanpur-Prayagraj Road) from Km.69.00 to Km 79.80. Total Km. 59.60 & 0.6281 Ha. in Social Forestry Division Amethi, District - Amethi -UP.

DETAIL OF MUCK DISPOSAL SITES

S No.	Location of dumping yard	Owner of land	Khasra no	Area (Hact)	Height of dumping Zone(m)	Capacity of dumping zone	Longitude /Latitude
	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

This is not applicable for this project.

(डी० एन० सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, अमेठी

पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

Name of project:- Reliance 4G project for Laying of Optical Fibre Cable (OFC) along with NH-731(Old NH-56) (Lucknow-Sultanpur Road) from Km. 64.00 to Km. 112.80 & NH-96(330) (Ayodhya-Sultanpur-Prayagraj Road) from Km.69.00 to Km 79.80. Total Km. 59.60 & 0.6281 Ha. in Social Forestry Division Amethi, District - Amethi -UP.

Certificate of Muck Disposal

This is certify that for Laying of Optical Fiber Cable (OFC) along with road on with NH-731(Old NH-56) (Lucknow-Sultanpur Road) from Km. 64.00 to Km. 112.80 & NH-96(330) (Ayodhya-Sultanpur-Prayagraj Road) from Km.69.00 to Km 79.80. Total Km. 59.60 & 0.6281 Ha. in Amethi District in state of Uttar Pradesh the excavated material / Muck generated shall be "NIL". The entire quantity of excavated material will be reused for back filling of pits for the project and therefore no disposal is required.


(डी०एन०सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
पूँन प्रभाग, अमेठी


पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

जनपद अमेठी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-731(पुराना एन0एच0-56) लखनऊ-सुलतानपुर मार्ग के किमी0 64.00 से किमी0 112.80 तक एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-96(330) अयोध्या-सुलतानपुर-प्रयागराज मार्ग के किमी0 69.00 से किमी0 79.80 तक कुल 59.60 किमी0 एवं 0.6281 हे0 संरक्षित वन भूमि पर मार्ग के किनारे ओ0एफ0सी0 केबिल बिछाये जाने हेतु भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Others/143253/2021.

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं0-27

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि परियोजना स्थल के आस पास के फलोरा (वनस्पति)/फाना के संरक्षण हेतु हरसंभव उपाय किया जाएगा।

(डी0एन0सिंह)
प्रशासीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, अमेठी

कृते रिलाएन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
पंकज खर (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

जनपद अमेठी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-731(पुराना एन0एच0-56) लखनऊ-सुलतानपुर मार्ग के किमी0 64.00 से किमी0 112.80 तक एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-96(330) अयोध्या-सुलतानपुर-प्रयागराज मार्ग के किमी0 69.00 से किमी0 79.80 तक कुल 59.60 किमी0 एवं 0.6281 हे0 संरक्षित वन भूमि पर मार्ग के किनारे ओ0एफ0सी0 केबिल बिछाये जाने हेतु भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Others/143253/2021.

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं0-28

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि प्रत्यावर्ती वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक होगा तो नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करा जायेगा।

(डी0एन0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, अमेठी

कृते रिलाएन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
पंकज खर (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

जनपद अमेठी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-731(पुराना एन0एच0-56) लखनऊ-सुलतानपुर मार्ग के किमी0 64.00 से किमी0 112.80 तक एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-96(330) अयोध्या-सुलतानपुर-प्रयागराज मार्ग के किमी0 69.00 से किमी0 79.80 तक कुल 59.60 किमी0 एवं 0.6281 हे0 संरक्षित वन भूमि पर मार्ग के किनारे ओ0एफ0सी0 केबिल बिछाये जाने हेतु भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Others/143253/2021.

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं0-29

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, लखनऊ के अनुश्रवण के अधीन होगी।

(डी0एन0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, अमेठी

कृते रिलाएन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

पंकज खेर (प्रबन्धक)

रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

लखनऊ

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

जनपद अमेठी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-731(पुराना एन0एच0-56) लखनऊ-सुलतानपुर मार्ग के किमी0 64.00 से किमी0 112.80 तक एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-96(330) अयोध्या-सुलतानपुर-प्रयागराज मार्ग के किमी0 69.00 से किमी0 79.80 तक कुल 59.60 किमी0 एवं 0.6281 हे0 संरक्षित वन भूमि पर मार्ग के किनारे ओ0एफ0सी0 केबिल बिछाये जाने हेतु भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Others/143253/2021.

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं0-31

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि प्रश्नगत सैद्धांतिक स्वीकृति मुख्य वन संरक्षक/नॉडल अधिकारी की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की गयी है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर स्वयं उत्तरदायी होगा।

(डी0एन0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, अमेठी

कृते रिलाएन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
पंकज खर (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

जनपद अमेठी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-731(पूर्व सं0-56) (लखनऊ-सुलतानपुर मार्ग) के कि.मी. 64.00 से कि.मी. 112.80 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-96(330) (अयोध्या-सुलतानपुर-प्रयागराज मार्ग) के कि.मी. 69.00 से कि.मी. 79.80 तक कुल कि.मी. 59.60 एवं 0.6281 हे० वन भूमि में भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने की अनुमति के संबंध में।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Others/143253/2021 dated: 29-11-2021

सुसंगत प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा विषयगत प्रेषित प्रस्ताव का भली-भांति परीक्षण कर लिया गया है तथा अधोहस्ताक्षरी इस बात से संतुष्ट हैं कि प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत निर्गत आदेशों, नियमों व दिशा-निर्देशों के अनुरूप है। विषयगत प्रस्ताव में किसी भी बिन्दु पर कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर वह स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(डी०एन० सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
अमेठी

पंकज खेर (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
कृते रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि०
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
लखनऊ